संख्याः 1927—/9—आ—3—72विविध/94

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण,
हापुड़ पिलखुवा।

आवास अनुभाग—3 लखनऊः दिनाँक—19 जून,2002

विषय : हापुड़—पिलखुवा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 155/सचिव/प्रशा./एच.पी.डी.ए./2001 दिनांक 20.9.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ शासनादेश संख्या 2898/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 30.6.2001 जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स परिचालन के माध्यम से विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2898/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 30 जून 2001 के अधीन जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत संशोधन किया गया था और संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को इस आशय से प्रेषित किए गए थे कि जिन प्राधिकरणों ने पूर्व में जारी आदर्श जोनिंग रेगुलशन्स को अंगीकृत कर लिया है, उनके द्वारा संशोधित प्रारूप को पुनः अंगीकृत करने की कार्यवाही की जाए। इसी आशय से संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की प्रति समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों/सचिवों को विकास प्राधिकरणों के कार्य—कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 29.1.2002 में उपलब्ध कराई गई थी।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा जारी संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आवश्यक परिष्कारों सहित विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराने के उपरान्त यथाशीघ्र शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या : 1927(1)/9–आ–3–72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण ।

2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

3. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव